


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक -- ई-18/एम/7064--यू/2019/ दिनांक

आदेश

श्री अंकित मीणा, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामोद, जयपुर—प्रथम जिनकी राज्य सेवा मे प्रथम नियुक्ति तिथि 07.07.2014 है तथा दिनांक 06.07.2016 को दो परिवीक्षा काल अवधि पूर्ण कर ली है किन्तु कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा काल अवधि मे 65 दिवस का असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: एफ-1(2)वित्त/नियम/06 पार्ट-1 दिनांक 11.06.2014 व 07.08.2014 के अनुसार 30 दिवस से अधिक 35 दिवस के असाधारण अवकाश के बराबर इनकी प्रोबेशन अवधि दिनांक 10.08.2016 तक बढ़ाते हुए राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स /2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना मे श्री अंकित मीणा, कनिष्ठ सहायक जिनकी राज्य सेवा मे प्रथम नियुक्ति तिथि 07.07.2014 है। कर्मचारी द्वारा दिनांक 05.08.2017 को आरएससीआईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 जयपुर दिनांक 04.05.2017 के अनुसरण मे परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात आरएससीआईटी परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 05.08.2017 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक . 27.05/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/1102

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर—प्रथम।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामोद, जयपुर—प्रथम।
3. श्री अंकित मीणा, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर